(2)

–::: आदेश :::–

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत समूह 'ख' के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

क्र०सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	कम्प्यूटर			
1.	सुश्री फातिमा सिद्दीकी, प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर	राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
2.	कु० अंकिता श्रीवास्तव, प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय महिला पालीटेक्निक, झांसी	राजकीय पालीटेक्निक, फिरोजाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
3.	श्रीमती रचीता सिंह, प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय पालीटेक्निक, तालबेहट, ललितपुर	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर	स्वयं के अनुरोध पर
4.	श्रीमती तृप्ति वर्मा, प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ	राजकीय पालीटेक्निक, मनकेड़ा (आगरा)	स्वयं के अनुरोध पर
5.	प्रणव त्रिपाठी, प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय पालीटेक्निक, तालबेहट, ललितपुर	राजकीय महिला पालीटेक्निक, झांसी	स्वयं के अनुरोध पर
6.	श्रीमती अंजली द्विवेदी, प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय पालीटेक्निक, उन्नाव	राजकीय महिला पालीटेक्निक, अमेठी	स्वयं के अनुरोध पर

उपरोक्त में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अविलम्ब कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरूद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश कार्मिक विभाग के पत्रांक–5/2016/1/3/96–का–4–2016, दिनांक–11.05.2016 द्वारा निर्गत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016–2017 एवं पत्रांक–1086/सोलह–2–2016–38(ई)/2016, दिनांक–02.06.2016 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

(ओ०पी० वर्मा)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।

2